

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 284 /11-सी- FP/UP/Approach150358//2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 02, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:- जनपद-हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for ECo-Toursim prupose b/w Ch. 88+690 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Gar Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District-Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।  
प्रस्ताव FP/UP/Approach150358/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी 2007 / 81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक-18.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-483/14-1, दि० 01.08.2023 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी ऑनलाईन इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,




(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-284 /11-सी- FP/UP/Approach150358/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड वन प्रभाग, हापुड।
- 3- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़बांगर, हापुड।

  
(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ  
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 483 / 14-1 दिनांक, मेरठ 01/08/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch- 88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी /अप्रोच/150358/2021)।

सन्दर्भ:- 1-उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-2007/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 18.07.2023।  
2-आपका पत्रांक 177/11-सी-FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 20.07.2023।  
3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 309/14-1, दिनांक 88.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-2007/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 18.07.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निस्तरण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है-

Sr. No.	Observation	Reply
1	हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के चेप्टर-54 के विन्दु संख्या-4.7 के अनुसार 0.1 हे० तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नहीं है। विचाराधीन परियोजना में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0.0304 हे०) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नहीं।	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि का भू-स्वामित्व वन विभाग का नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है।
2	प्रश्नगत प्रस्ताव में जियो रिफरेंस मैप में महादेव ढाबा, अल्लाहबख्सपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला-हापुड़ के सम्पर्क मार्ग के लिए वन भूमि के डायवर्जन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित किया गया है:-Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch- 88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग कर बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम अल्लाहबख्सपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला-हापुड़ के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धि है, तदनुसार विषय में संशोधन कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।